JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Ref: JDA/EE(TCB)/2025/D-

<u>Minutes of 91th meeting of the Traffic Control Board held on 21.08.2025</u>

The 91st Traffic Control Board Meeting was held under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 21st August, 2025 at 12.00 Noon in 'Manthan Hall' of Jaipur Development Authority.

Agenda Item No.	Agenda Items	Previous Decisions	Decisions	Action to be taken by
91.1	Confirmation of minutes of the 90th TCB meeting held on 19.06.2025		Minutes of 90th TCB meeting held on 19.06.2025 were confirmed.	MS, TCB
91.2	Compliance report on decisions taken in 90th TCB meeting held on 19.06.2025		The compliance made was noted and confirmed	
83.5	**Jaipur Railway Station:** • जविप्रा, जयपुर नगर निगम एव रेलवे के साथ ट्रेफिक कन्जैस्शन को कम करने के विकल्प तैयार कर प्रस्तुत करें • श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2025 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें जविप्रा, रेलवे, आवासन मण्डल उपस्थित रहे। इस बाबत 2 प्रस्ताव तैयार हुए। रेलवे द्वारा जयपुर जंक्शन पर यातायात दबाव को कम करने के लिए राम मन्दिर से लोको कॉलोनी एल.सी.–25 पर आर.ओ.बी. निर्माण प्रस्तावित है। इससे हसनपुरा को आने–जाने वाला यातायात जयपुर जंक्शन के सामने लगभग 40	ट्रैफिक कन्जैस्शन को कम करने के विकल्प तैयार करने के संबंध में दिनांक 30.06.2025 को सचिव एवं आयुक्त, यातायात एवं सड़क सुरक्षा विभाग को अगली बैठक में अनुमोदन हेतु समिति के सामने रखे जाने के संबंध में जविप्रा द्वारा पत्र भिजवा दिया गया है।	प्रकरण श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में विचाराधीन है। अतः उचित निर्णय हेतु श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली आगामी बैठक में एजेण्डा रखने के लिए जविप्रा को निर्देश दिये गये ।	JDA Transport Dept.

RajKaj Ref No.: 17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	प्रतिशत हो जाने से प्रस्तावित बिन्दु सख्या 2 की आवश्यकता नहीं। जविप्रा को रेलवे द्वारा उनकी 6 मीटर चौडाई की जमीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव भेजने तथा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जंक्शन के सामने सड़क चौडाई कर दिये जाने के निर्देश दिये।			
86.3	**हीरापुरा बस टर्मिनल की तर्ज पर बस टर्मिनल** बस टर्मिनल बनाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा रोड पर कानोता में 10023 वर्ग मीटर, टोंक रोड पर शिवदासपुरा में 10000 वर्ग मीटर, दिल्ली रोड पर अचरोल में 10000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। सलाहकार RITES Ltd द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त तीनों स्थानों को वर्तमान में बस टर्मिनल के लिए Feasible नहीं माना है। एजेंडा बिन्दु मे उल्लेखित स्थानों – दिल्ली रोड पर सड़वा मोड के आस–पास, सीकर रोड पर टोडी मोड के आस–पास, टोंक रोड पर सीतापुरा के आस–पास बस टर्मिनल बनाये के लिए वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थानों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के उपरांत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी।	निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय), द्वारा परिवहन विभाग के पत्रानुसार बस स्टैण्ड प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्य 5–7 दिवस में पूर्ण होना बताया गया। उक्तानुसार परिवहन विभाग को हीरापुरा बस टर्मिनल 1 जुलाई 2025 से प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हीरापुरा बस टर्मिनल का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। परिवहन विभाग में हीरापुरा बस टर्मिनल हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी, उप वित्तीय सलाहकार को दिये गये निर्देशों की पालना में शुरू करने हेतु दिनांक 03.07.2025 को पत्र लिखा गया। हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने हेतु कार्यालय के सभागार में दिनांक 11.07.2025 को बैठक का आयोजन किया गया एवं दिनांक 25.07.2025 को पुनः बैठक का आयोजन किया गया। (कार्यवाही विवरण संलग्न है)। बस ऑपरेटर्स की मांग पर प्रस्ताव RSBTD को भिजवा दिया गया है।	परिवहन विभाग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार हीरापुरा बस टर्मिनल शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। जविप्रा को हीरापुरा बस टर्मिनल परिवहन विभाग को शीघ्र हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये।	Transport Dept. JDA Traffic Police

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

89.5	**सडक की चौडाई बढ़ाये जाने वाले अन्य स्थान**			
	गॉधीपथ पुलिया पर गॉधीपथ पश्चिम की तरफ चलने पर	गांधीपथ पश्चिम के कोने पर स्थित दुकान पर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण सडक चौडाई का कार्य किया जाना संभव नहीं है।	जविप्रा को माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराते हुए सड़क चौडाई का कार्य करने के निर्देश दिये गये।	JDA
	भांकरोटा चौराहा स` कमला नेहरू नगर एवं 200 फुट चौराहे तक सर्विस लाईन एन.एच.ए.आई. व यातायात पुलिस को संयुक्त निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	भांकरोटा चौराहा स` कमला नेहरू नगर एवं 200 फुट चौराहे तक सर्विस रोड को चौडा करने हेतु भूमि उपलब्ध नही है। यातायात पुलिस के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया है कि भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए सर्विस रोड को चौडा किया जाना आवश्यक है।	एन.एच.ए.आई. द्वारा बताया गया कि बढ़ते हुए ट्रैफिक के सुगम संचालन के लिए डीपीआर बनवाई जा रही है जिसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट एक माह में प्राप्त हो जायेगी। प्राप्त प्रारम्भिक डीपीआर रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एन.एच.ए.आई. का` प्रकरण की प्रारम्भिक रिपोर्ट जविप्रा एवं यातायात पुलिस ट्रैफिक को भिजवाने एवं शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	NHAI Traffic Police
	रोड मीडियन कट बन्द करवाये जाने वाले स्थान प्रधान वाटिका से रीको की तरफ एच.पी. पैट्रोल पम्प कट को बन्द करना। प्रधान वाटिका से रीको की तरफ एच.पी. पैट्रोल पम्प कट जविप्रा को यातायात पुलिस की मदद से शीघ्र बन्द करने के निर्देश दिये गये।	उक्त मिडियन कट बन्द करने हेतु जोन स्तर पर प्रयास किये गये परन्तु स्थानीय निवासियों एवं व्यापारियों के विरोध के कारण उक्त मिडियन कट बन्द नहीं किया जा सका। इस संबंध में पुलिस सहायता हेतु यातायात निरीक्षक श्री कैलाश चौधरी मो. नम्बर 8005926934 से वार्ता की गई। वार्तानुसार उक्त कट को बन्द करने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। अतः उक्त कट बन्द नहीं करने की अनुशंषा की जाती है।	उक्त मिडियन कट को यातायात पुलिस से समन्वय कर शीघ्र बन्द करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	जयपुर शहर में सर्किल को छोटा करवाये जाने वाले स्थान			
	पोलो सर्किल डीसीपी (ट्रेफिक), अधीक्षण अभियंता (ट्रेफिक) जेडीए एवं RITES की कमेटी को पोलो सर्किल की पुनः जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ	RITES के द्वारा पोलो सर्किल की स्टडी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है।	RITES के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जविप्रा को यातायात पुलिस से समन्वय कर उचित निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित	JDA Traffic Police

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	ही वन्देमात्रम सर्किल, इस्कॉन सर्किल की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।		किया गया।	
	रोटरी सर्किल, आगरा रोड रोटरी सर्किल रोड के नक्शे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि इस सर्किल का रख–रखाव नगर निगम हैरीटेज के द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम के साथ समन्वय रखते हुए उनकी सहमति से कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये गये।	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम हैरीटेज को कार्य करने हेतु तथा कार्य नही करने की स्थिति में एन.ओ.सी. हेतु पत्र भेज दिया गया है। नगर निगम हैरीटेज द्वारा दिनांक 19.08. 2025 को सम्पूर्ण सडक आमेर कुण्डा ट्रांसपोर्टनगर, जवाहर नगर वाईपास, मालवीय नगर पूर्ण रूप से जविप्रा के अधीन बताया गया है।	RITES से रोटरी सर्किल की फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रिपोर्ट के अनुरूप रोटरी सर्किल के कार्य को करने के जविप्रा को निर्देशित किया गया।	JDA
	छोटी व बड़ी ट्रैफिक गुमटी लगवाये जाने वाले स्थान स्मार्ट सिटी के द्वारा परिशिष्ठ –10 पर संलग्न सूची के अनुसार छोटी व बड़ी ट्रैफिक गुमटी लगवाये जाने के निर्देश दिये गये । **परिशिष्ठ –10** पर संलग्न सूची के अनुसार ट्रेफिक पुलिस यातायात से समन्वय कर अपने–अपने क्षेत्राधिकार में छोटी व बड़ी ट्रैफिक गुमटी लगाये जाने के निर्देश दिए।	यातायात पुलिस को छोटी व बडी गुमटी के डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन भिजवाने हेतु जविप्रा द्वारा दिनांक 14.07.2025 को पत्र भेजा गया है।	यातायात पुलिस से डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन प्राप्त कर अपने–अपने क्षेत्राधिकार में छोटी व बडी गुमटी लगाये जाने के निर्देश दिये।	JDA NNJ Heritage NNJ Greater Traffic Police
	फ्लाईऑवर, अण्डरपास, ऑवरब्रिज, रेल्वे ब्रिज का कार्य			
	गोविन्द मार्ग मास्टर प्लान में रोड 100 फुट चौडी दर्शायी गई है, जिसके एक तरफ नगर निगम ग्रेटर और एक तरफ नगर निगम हैरीटेज आता है। जिसके अनुसार नगर निगम हैरीटेज एवं नगर निगम ग्रेटर के द्वारा नक्शे पास किये गये हैं, इसके बाद भी वहां पर अतिक्रमण है। इसलिए नगर निगम हैरीटेज एवं नगर निगम ग्रेटर	जयपुर नगर निगम (हैरीटेज) द्वारा गोविन्द मार्ग से दिनांक 20.06.2025 व 27.06.2025 को अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया।	जयपुर नगर निगम (हैरीटेज) एवं जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) को गोविन्द मार्ग जो कि मास्टर प्लान के अनुसार आर.ओ.डब्ल्यू. 100 फुट चौडी रोड दर्शायी गई है, के अनुसार पूर्ण चौड़ाई में अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिये गये।	NNJ Heritage NNJ Greater

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	को गोविन्द मार्ग की सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाये जाने के निर्देश दिये गये।			
	कानोता तिराहा एन.एच.ए.आई. के द्वारा बताया गया कि एक माह में कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा।	निविदा प्रक्रियाधीन है।	एन.एच.ए.आई. के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कानोता तिराहे की निविदा प्राप्त कर ली गई है एवं वर्षा के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। एन.एच.ए.आई. को शीघ्र कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये गये।	NHAI
	गोनेर तिराहा गोनेर तिराहे पर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के लिए एन.एच.ए.आई. को निर्देश दिये गये।	राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गोनेर पुलिया पर कोटा से जयपुर आने वाले वाहनों के लिए ऑवरब्रिज बनाये जाने हेतु स्वतंत्र अभियन्ता को विस्तृत रिपोर्ट हेतु भेजा गया है।	एन.एच.ए.आई. द्वारा बताया गया कि प्रारम्भिक रिपोर्ट एक माह में प्राप्त हो जायेगी। एन.एच.ए.आई. को रिपोर्ट जविप्रा एवं यातायात पुलिस को भिजवाने के निर्देश दिये गये तथा सुगम यातायात के लिए अस्थायी रूप से कोई कार्य किया जाना संभव हो तो शीघ्र उचित समाधान करने के निर्देश दिये गये।	NHAI
	200 फुट चौराहे से बढ़ारणा पुलिया तक एन.एच.ए.आई. द्वारा बताया गया कि भूमि उपलब्ध नहीं है। एन.एच.ए.आई. को ट्रैफिक के साथ पुनः जांच कर यथासंभव चौडाई बढायी जाने के निर्देश दिये।	200 फुट चौराहे से बढ़ारणा पुलिया तक सर्विस रोड को चौडा करने हेतु भूमि उपलब्ध नही है। यातायात के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया है कि भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए सर्विस रोड को चौडा किया जाना आवश्यक है।	RITES द्वारा की गई ट्रैफिक स्टडी को मध्यनजर रखते हुए एन.एच.ए.आई. को जविप्रा की तरफ से यातायात के समाधान हेतु पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।	JDA NHAI Traffic Police
	आमेर रोड पर बने गेट की चौडाई कम होने के कारण इस स्थान पर वाहन फंस जाते है इस कारण इस मार्ग यातायात का दबाव बना रहता है। इस हेतु :– • सडक मार्ग की चौडाई बढाया जाना	नगर निगम हैरिटैज द्वारा आमेर रोड घाटीगेट के पास स्थित समानान्तर मार्ग की मरम्मत /पुनरूद्धार शीघ्र करके सड़क मार्ग खुलवाये जाने के निर्देश दिये गये। पूर्व में नगर निगम हैरिटेज प्रतिनिधि द्वारा	प्रकरण मे जविप्रा, नगर निगम हैरीटेज, यातायात पुलिस को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police NNJ Heritage

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	• घाटीगेट के पास बने समानान्तर मार्ग को चालू करवाया जाना	कार्य करवाये जाने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु दिनांक 19.08.2025 को प्राप्त जवाब के द्वारा उक्त क्षेत्र वन विभाग एवं जविप्रा के क्षेत्राधिकार में बताया गया है।		
89.7	**दिनांक 17.01.2025 को जयपुर यातायात प्रबन्धन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशों की बैठक कार्यवाही विवरण ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए गये जो निम्नानुसार हैः**			
2	**आवश्यक जंक्शनों पर दुपहिया ओवरब्रिज विकसित किए जायें।** सीएमपी में कार्य करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जविप्रा को निर्देशित किया गया।	सीएमपी में प्राईमरी ट्रैफिक स्टडी एवं सैकण्डरी डाटा प्राप्त कर इनकी डाटा एनालेसिस की जा चुकी है एवं अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। आवश्यक जंक्शनों पर दुपहिया ओवर ब्रिज विकसित करने हेतु फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु RITES को निर्देशित किया गया है।	जविप्रा को प्रारम्भिक तौर पर ईदगाह के पास उपायुक्त पुलिस से समन्वय कर दुपहिया ओवर ब्रिज विकसित करने के निर्देश दिये गये।	JDA
5.	**ट्रेफिक सिग्नलों को ए.आई. आधारित नियत्रित सिग्नलों में अपग्रेड किया जाए।** जेडीए द्वारा इसके लिए तैयार किये गये प्रस्ताव को ट्रैफिक पुलिस को दिखाकर सहमति लेने के उपरान्त बजट हेतु गृह विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।	ए.आई. आधारित नियत्रित सिग्नलों में अपग्रेड करने हेतु ट्रेफिक सिंग्नलों की डिटेल उपायुक्त पुलिस (ट्रैफिक) से प्राप्त हो गई है। बजट हेतु प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है। दिनांक 01.08. 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 2 के अनुसार यातायात पुलिस द्वारा कार्य का विस्तुत स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध करवाया जाना है। जविप्रा द्वारा विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराने हेतु डीसीपी ट्रेफिक पुलिस को दिनांक 07. 08.2025 को पत्र भिजवा दिया गया है।	ए.आई. आधारित नियत्रित सिग्नलों में अपग्रेड करने हेतु स्कोप तथा स्पेशिफिकेशन उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे एवं जविप्रा को कार्य करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
90.5	**3. जयपुर शहर ई–रिक्शा /ई–कार्ट के सुलभ संचालन हेतु किये जाने वाले**			

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	प्रतिबंधित क्षेत्र विभागीय आदेश **35684 दिनांक 16.05.2017** द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 2(**cb**) व 2(**cc**) में तीन पहिया बैट्री चलित वाहनों (यात्री/भार) जिसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रतिघंटा एवं मोटर की क्षमता 2000 वॉट से अधिक न हो, को ई रिक्शा/ई कार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। इन वाहनों को यात्रियों के अन्तिम छोर तक (**Last Mile Connectivity**) यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। विभाग के इसी आदेश के बिन्दु संख्या 03 मे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो एवं मुख्य मार्गो पर वाहनों का संचालन अत्यधिक होता है एवं इन मार्गो पर अन्य वाहनो की सामान्य गति ई–रिक्शा/ई–कार्ट की अधिकतम गति से अधिक होती है। ऐसे में इन वाहनों से मुख्य मार्गो पर संचालित होने से यातायात बाधित होता है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी ई–रिक्शा का संचालन प्रतिद्वदी वाहन (दुपहिया/चौपहिया) जिनकी गतिसीमा 50–60 कि.मी./घंटा होती है, के साथ चलने से यातायात बाधित होने के साथ–साथ सड़क दुर्घटनाएं भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हेतु यातायात नियन्त्रण बोर्ड की बैठक में उचित निर्णय लिये जाने के उपरान्त राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो एवं मुख्य मार्गो पर इन वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर शहर को यातायात को नियत्रित किया जा सकता है। जयपुर शहर में ई रिक्शा	जयपुर शहर ई–रिक्शा /ई–कार्ट के सुलभ संचालन हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वारा प्रस्तावित मार्गो एव पुलियाओं पर ई–रिक्शा /ई–कार्ट संचालन से प्रतिबंधित किये जाने का अनुमोदन किया गया। डीसीपी यातायात को 15 दिवस में अधिसूचना जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। यातायात पुलिस जयपुर द्वारा इस सम्बंध मे कार्यालय पत्रांक 6764–77 दिनांक 18.07.2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।	ई–रिक्शा /ई–कार्ट प्रतिबंधित क्षेत्र मे न चलने हेतु पालना सुनिश्चित करने के यातायात पुलिस को निर्देश दिये गये।	Traffic Police

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	के सुलभ संचालन हेतु दिनांक 06.03.2018 को पुलिस विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा को प्रतिबन्धित किया गया था। इसी क्रम में जयपुर शहर के निम्न मार्गो को ई–रिक्शा /ई–कार्ट संचालन से प्रतिबंधित किया जाना हैः– • अजमेर रोडः परानी चुंगी नाका से प्रस्तावित हीरापुरा बस टर्मिनल तक। • आगरा रोडः घाट की घूणी से 52 फीट हनुमान जी तक। • दिल्ली रोडः रामगढ मोड से आमेर घाटी दिल्ली रोड पर। • मैट्रों स्टेशन मानसरोवर से 200 फीट बाई पास अजमेर रोड पर। • जयपुर शहर के ओवर ब्रिज– भारत जोड़ो सेतु, अजमेर पुलिया, टोंक रोड पुलिया, गोपालपुरा पुलिया, दुर्गापुरा पुलिया, सांगानेर पुलिया को प्रतिबंधित किया जाना। जयपुर शहर के उपरोक्त सभी मार्गो पर (जिन पर ई–रिक्शा /ई–कार्ट को प्रतिबंधित किया जाना है) पर्याप्त संख्या में मिनी बस, टैम्पों 08 से 10 सीटर एवं ऑटो रिक्शा (**LPG/CNG**) उपलब्ध है जिससे शहर में यात्रीयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी।			
90.6	**शनिमंदिर, एमआई रोड बोटलनैक पॉइंट**	आकाशवाणी की खाली जमीन लेने के	नगर निगम हैरीटेज को आकाशवाणी /	NNJ Herita

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 1[illegible]:37:21 IST
Reason: Approved

	वर्तमान में शनिमंदिर, एमआई रोड पर यातायात बोटलनैक पॉइंट बनता है इसके स्थाई समाधान एवं यातायात के सुगम संचालन हेतु: आकाशवाणी की खाली जमीन में से कॉर्नर की लगभग 20–30 फीट जगह ली जाकर शनिमंदिर चौक के रूप में विकसित करने पर यातायात का सुगम संचालन किया जा सकता है।	लिए आकाशवाणी के उप महानिदेशक से चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान पर राशि रू. 45.00 करोड़ की लागत से सूचना भवन (पांच मंजिल) बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके मानचित्रो का अनुमोदन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा चुका है।	के अधिकारियों से समन्वय करते हुए प्रस्तावित भवन प्लान का बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार जांच कर, जितनी भूमि ट्रैफिक सुधार या पार्किंग के लिए उपलब्ध हो सकती है उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के निर्देश दिये गये।	JDA
	किरन पैलेस अजमेर रोड किरन पैलेस अजमेर रोड पर यातायात दबाव बना रहता है इसके समाधान एवं यातायात के सुगम संचालन हेतु निम्नानुसार कार्य करवाये जाने है। ➢ विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाना	• विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने का कार्य जे.वी.वी.एन.एल. द्वारा किया जाना है।	• जे.वी.वी.एन.एल. को 7 दिवस में विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। शहर में सभी बॉयें मोड पर स्थित ट्रांसफोर्मर, विद्युत पोल इत्यादि जो सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न करते हैं को शिफ्ट करने के लिए जे.वी.वी.एन.एल. को निर्देशित किया गया।	JVVNL
	➢ डेयरी शिफ्ट किया जाना	• नगर निगम ग्रेटर द्वारा डेयरी बूथ आवंटी दीपक मेहता पुत्र रतनलाल मेहता डेयरी बूथ संख्या 1917 को हस्तांतरित करने हेतु दिनांक 18.08.2025 को पत्र लिख दिया गया है।	• नगर निगम ग्रेटर को शीघ्र कार्यवाही कर डेयरी बूथ शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। ग्रीन बेल्ट, डिवाईडर, रोड पर आने वाले डेयरी बूथों को शिफ्ट करने के लिए जविप्रा, नगर निगम ग्रेटर एवं नगर निगम हैरीटेज को भी निर्देशित किया गया।	JDA NNJ Greater NNJ Heritage
	अमानीशाह नाला रोड सीकर रोड एवं विधाधर नगर से पानीपेच तिराहा पर आने वाले वाहनों के लिये अमानीशाह नाला रोड लिंक रोड के रूप	उक्त कार्य किये जाने हेतु जविप्रा को	अमानीशाह नाला रोड 80 फुट से कम	

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	में कार्य करती है इससे अम्बाबाडी तिराहा एवं झोटवाडा रोड पर यातायात दबाव में कमी आती है इस मार्ग पर यातायात के सुरक्षित संचालन हेतु :– • सडक मार्ग क्षतिग्रस्त होने, मार्ग के दोनों तरफ कचरा, मृत मवेशियों को डाले जाने के वाहन चालक उपयोग नहीं करते है। इस मार्ग को उपयोगी बनाये जाने हेतुः– ➢ सडक मरम्मत कार्य ➢ दोनों तरफ लोहे की जाली ➢ कचरा डालना मना है के पर्याप्त बोर्ड ➢ पुलिया की उंचाई बढाया जाना	निर्देशित किया गया। क्षतिग्रस्त मार्ग को वर्षा के उपरान्त सही करवा दिया जायेगा।	चौडी एवं नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण नगर निगम ग्रेटर को उक्त कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया।	NNJ Greater
	ट्रैफिक पोल इलूमिनेशन की स्थापना यातायात अनुशासन एवं शहरी सौंदर्यीकरण हेतु रामबाग चौराहे पर ट्रैफिक पोल इलूमिनेशन का प्रायोगिक परीक्षण किया गया है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल के साथ ट्रैफिक पोल भी उसी रंग की लाईट में दिखाई देने से वाहन चालकों को दूर से ही सिग्नल नजर आने से यातायात अनुशासित हुआ है। इसे अन्य चौराहों/तिराहों पर लगवाये जाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पोल इलूमिनेशन हेतु ऑक्टापोल सिग्नल वाले चिन्हित स्थानः– एसएलकट चौराहा, ओटीएस चौराहा, बजाज नगर तिराहा, गणेश मंदिर चौराहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, पोलो सर्किल, सोडाला चौराहा, 200 फिट बाईपास, गोपालपुरा चौराहा, रिद्वी सिद्वी चौराहा, धोबीघाट सर्किल	चिन्हित स्थानो पर ट्रैफिक पोल इलूमिनेशन लगाने हेतु जविप्रा को निर्देशित किया गया। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 200.00 लाख की जारी की जा चुकी है। निविदा अगस्त माह के अन्त तक जारी करदी जायेगी।	जविप्रा को उपायुक्त पुलिस यातायात से समन्वय करते हुए चिन्हित स्थानों पर ट्रैफिक पोल इलूमिनेशन लगाने के लिए निर्देशित किया गया।	JDA Traffic Police
	बस स्टॉप दिल्ली रोड पर करवाये जाने	दिल्ली रोड बजरी मंडी स्थित बस स्टेण्ड	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये	

RajKaj Ref No.: 17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	वाले कार्य **बजरी मंडी, दिल्ली रोड पर नवीन बस–स्टॉप** • गर्मी एवं धूप से बचाव के लिये लगाये गये, टेंट फट/गिर गये व बरसात से बचाव हेतु स्थाई व्यवस्था किया जाना • बस स्टॉप पर हाई मास्क लाईट लगवाया जाना	पर नगर निगम हैरीटेज को यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी रूप से टीन शैड, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पंखा एवं लाईट व्यवस्था हेतु हाई मास्क लाईट लगाने के लिए निर्देश दिये गये। नगर निगम हैरीटेज द्वारा बताया गया कि यात्रीगणों के लिए बैठने हेतु शेड का निर्माण किया जा चुका है तथा लाईट/पानी की पर्याप्त व्यवस्था है।	गये निर्देशानुसार यात्रियों की संख्या अनुसार बजरी मंडी बस स्टेण्ड पर टीन शैड, पानी, बैठने, पंखा व लाईट की सुविधाएँ बढाये जाने के नगर निगम हैरीटेज को निर्देश दिये गये।	NNJ Heritage
	गतिसीमा जागरूकता हेतु इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड सडक दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण में गति सीमा की जागरूकता एवं शहरी सौंदर्यीकरण हेतु मुख्य मार्गो पर राउण्ड एलईडी लगाई जाने की आवश्यकता है। • आमजन में एलईडी बोर्ड की लोकप्रियता • मैसेज परिवर्तन हेतु ऑनलाईन सुविधा • मार्ग सौंदर्यीकरण में उपयोगी • गति सीमा जागरूकता में प्रभावी **राउण्ड एलईडी हेतु चिन्हित मार्ग :–** जवाहर लाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड, आगरा रोड, एलीवेटेड रोड, न्यू सांगानेर रोड, टनल के दोनों तरफ, आदि मार्गो पर स्थापित किया जा सकता है।	चिन्हित मार्गों पर राउण्ड एलईडी लगाये जाने हेतु जविप्रा को निर्देशित किया गया। राउण्ड एलईडी लगाये जाने के लिए स्पेशिफिकेशन हेतु जविप्रा द्वारा यातायात पुलिस को पत्र भेज दिया गया है।	यातायात पुलिस से राउण्ड एलईडी स्पेशिफिकेशन प्राप्त कर कार्य करने के लिए जविप्रा को निर्देशित किया गया।	JDA Traffic Police
	एमआई रोड पर पेड–पार्किंग एम.आई. रोड जयपुर शहर का महत्वपूर्ण मार्ग है शहर के मुख्य कनेक्टिंग रोड के साथ–साथ इस मार्ग पर 15 रेस्टोरेंट एवं 380 व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थित है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं रेस्टोरेंट पर	नगर निगम हैरीटेज व यातायात पुलिस को एम.आई.रोड स्टेक होल्डर्स के साथ संयुक्त बैठक कर पेड पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु नगर निगम हैरीटेज को निर्देश जारी किये गये।	एमआई रोड पर पेड पार्किंग की व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु नगर निगम ग्रेटर को निर्देशित किया गया।	NNJ Greater

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	आने वाले वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सामान्य यातायात बाधित होता है। एम.आई. रोड पर पेड–पार्किंग होने से:– • व्यवस्थित पार्किंग • राजस्व स्त्रोत • निर्बाध यातायात संचालन • वाहन चालकों में सडक अनुशासन यातायात के सुगम संचालन हेतु एम.आई. रोड पर पेड–पार्किंग किये जाने की आवश्यकता है।	नगर निगम हैरीटेज द्वारा नगर निगम ग्रेटर के साथ दिनांक 22.07.2025 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम जयपुर के दोनों निगमों के एकीकरण के संबंध में जारी आदेश को मध्यनजर रखते हुए एम. आई.रोड. पर पेड पार्किंग का ई–ऑक्शन नगर निगम ग्रेटर द्वारा आमंत्रित किया जाना तय किया गया। नगर निगम ग्रेटर के उपस्थित अधिकारियों द्वारा उक्त पेड पार्किंग का ई–ऑक्शन आयुक्त नगर निगम ग्रेटर से अनुमोदन पश्चात किया जाना बताया गया है।		
	शहर में जलभराव वाले स्थान गतवर्ष बरसात के दौरान शहर में कई स्थानो पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालको व आमजन को काफी समस्या का सामना करना पडा है जयपुर शहर में जल भराव वाले मुख्य स्थानों का विवरण परिशिष्ठ संलग्न है।	संबन्धित क्षेत्राधिकार विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा पानी नहीं रूके इस बाबत स्थायी समाधान तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु जविप्रा, नगर निगम (ग्रेटर) एवं नगर निगम (हैरीटेज) को निर्देशित किया गया।	नगर निगम ग्रेटर /हैरीटेज को नालों की ठीक प्रकार से सफाई करके पानी की पूर्ण निकासी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। नये नालों के डिजाइन/निर्माण में डिस्पोजल करतारपुरा नाले में न करते हुए वैकल्पिक डिस्पोजल स्थल तलाशने के लिए निर्देशित किया गया।	JDA NNJ Heritage NNJ Greater
	यादगार एवं अजमेरी गेट के मध्य यातायात संचालन • यादगार एवं अजमेरी गेट के मध्य मीडियन हटवाये जाने की आवश्यकता है। • ट्रेफिक स्टडी करवाई जाकर स्टडी अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	कन्सलटेन्ट से सर्वे करवा लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	जविप्रा को कन्सलटेन्ट से आगामी तीन दिवस में रिपोर्ट प्राप्त कर उपायुक्त पुलिस यातायात से चर्चा कर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।	JDA
	सडक निर्माण कार्य लक्ष्मी मंदिर तिराहा सिग्नल फ्री प्लान के पश्चात टोंक फाटक पुलिया के	यातायात हेतु सडक की चौडाई बढाये जाने के लिए आवश्यक भूमि हेतु रेलवे	रेलवे से समन्वय स्थापित कर जविप्रा को कार्यवाही करने के निर्देश दिये	JDA

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	नीचे यातायात दबाव बढ गया है इस हेतु लक्ष्मी मंदिर , बजाज नगर की तरफ आने वाले यातायात हेतु के तहत दौरान सडक की चौडाई बढाया जाना था।	को पत्र लिखने के लिए जविप्रा को निर्देशित किया गया। जविप्रा द्वारा दिनांक 17.07.2025 को रेलवे को पत्र भिजवा दिया गया है।	गये।	
	सडक निर्माण कार्य अजमेर – दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली रोड के लिये लिंक रोड की आवश्यकता वर्तमान में खातीपुरा, वैशाली नगर, कालवाड, हाथोज, पांच्यावाला, बिन्दायका, आदि क्षेत्र के निवासियों को कूकस, आमेर, खोरामीणा, लांगडियावास, आदि क्षेत्र में आवागमन हेतु लिंक रोड नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र का प्रयोग करना पडता है। ➢ रोड नंम्बर 14 से चंदबाजी होकर कूकस की दूरी लगभग 60 किमी ➢ रोड नंम्बर 14 से शहरी क्षेत्र बडी चौपड होकर कूकस की दूरी लगभग 30 किमी	**परिशिष्ठ–2** के अनुसार यातायात पुलिस से समन्वय कर जविप्रा को सडक बनाने के निर्देश दिये गये। अजमेर – दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली रोड के लिये प्रस्तावित लिंक रोड का अधिकांश क्षेत्र वन विभाग की भूमि नाहरगढ़ बायोलॉजीकल पार्क से होकर गुजरता है। लिंक रोड निर्माण कार्य फीजीबल नहीं है।	जविप्रा के वन संरक्षक (सी.एफ) को वन विभाग से समन्वय कर प्रस्तावित सड़क हेतु भूमि अधिग्रहण की सम्भावना तलाशने के निर्देश दिये गये।	JDA
	रोड मीडियन • खातीपुरा पुलिया से लता सर्किल की तरफ जाने पर पुलिया से नीचे उतरने पर निम्बार्क मार्ग का यातायात बाधित करता है इस हेतु मीडियन को बढाया जाना है।	मौके पर मीडियन को बढ़ाये जाने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया। आम नागरिकों द्वारा मीडियन बढाने का कार्य नहीं करने दिया। मौके पर यातायात पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने इस कार्य को करने के लिए मना किया गया ।	मीडियन को बढ़ाये जाने का कार्य यातायात पुलिस के सहयोग से सात दिवस में करवाये जाने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	मैरिज गार्डन शहर में संचालित मैरिज गार्डन पार्किंग स्थल के अभाव के कारण आयोजनों के दौरान वाहनों के सडक पर पार्क किये जाने से सामान्य यातायात बाधित होता है। • वैशाली नगर क्षेत्र – मैरिज गार्डन	जविप्रा एवं नगर निगम ग्रेटर को मैरिज गार्डनों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। मोती डूंगरी रोड – नायला हाउस मैरीज गार्डन को उचित पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण विवाह स्थल	नगर निगम द्वारा 25 प्रतिशत भूमि पार्किंग के लिए आरक्षित करते हुए मैरिज गार्डन के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। बैठक में चर्चा के दौरान निदेशक (आयोजना), जविप्रा द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान [illegible]	JDA NNJ Greater NNJ Herita

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	शिव कुंज, रजवाडा होटल और रेस्टोरेंट • मोती डूंगरी रोड – नायला हाउस मैरीज गार्डन, वैभव गार्डन मैरीज हाउस	संचालनकर्ता को नोटिस क्रमांक 1501 दिनांक 20.08.2025 जारी कर पाबन्द कर दिया गया है। वैभव गार्डन मैरीज हाउस की मौका जांच किये जाने पर उक्त क्षेत्र नगर निगम हैरीटेज से संबन्धित है। वैशाली नगर क्षेत्र – मैरीज गार्डन शिव कुंज, रजवाडा होटल और रेस्टोरेंट की पार्किंग व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है।	बायलॉज़ के अनुसार 40 प्रतिशत भूमि रखते हुए मैरिज गार्डन की स्वीकृति जारी की जानी है। नगर निगम को वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज़ के अनुसार मैरिज गार्डन की स्वीकृति देने तथा उसी अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।	
	यातायात के सुगम संचालन हेतु अन्य कार्य गोपालपुरा बाईपास से टी.एन. मिश्रा मार्ग पर बिजली का ट्रांसफार्मर हटवाया जाना	विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने हेतु जविप्रा को जे.वी.वी.एन.एल. से समन्वय कर शिफ्ट करवाने के निर्देश दिये।	विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने हेतु जे.वी.वी.एन.एल. को सात दिवस में शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये।	JVVNL
	अन्य बिन्दुः	जयपुर शहर में वाहनों हेतु मल्टीलेवल पार्किंग बनाये जाने हेतु कम से कम 10 स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिये गये।।	जविप्रा, नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हैरीटेज को मल्टीलेवल पार्किंग बनाये जाने हेतु कम से कम 10 स्थान चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया।	JDA NNJ Heritage NNJ Greater
91.3	**1. नवीन 150 बस शैल्टर्स का निर्माण** • जेसीटीएसएल द्वारा वर्तमान में 200 सिटी बसों का 28 मार्गो पर संचालन किया जा रहा है। जयपुर शहर में यात्रियों की सुविधा हेतु जेसीटीएसएल के 143 बस शैल्टर्स हैं। जेसीटीएसएल को नवीन प्राप्त होने वाली 430 (150 ई–बसें एवं 280 सी.एन.जी.) बसों के लिये वर्तमान संचालित 28 मार्गो के साथ–साथ 16 नवीन मार्गो पर बस संचालन किया जाना प्रस्तावित है। • इस प्रकार कुल 44 मार्गो पर यात्रियों की सुविधा हेतु वर्तमान में जेसीटीएसलएल के 143 बस शैल्टर्स		जेसीटीएसएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	JCTSL

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	के अतिरिक्त 150 नवीन बस शैल्टर्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ● नवीन बस शैल्टर्स के स्थान चिन्हिकरण हेतु पब्लिक युटिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग, नगर निगम, जेसीटीएसएल एवं पुलिस उपायुक्त(यातायात) के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे करवाया जाना प्रस्तावित है।			
	2. नवीन आगारों हेतु भूमि आवंटन • पी.एम. ई बस योजना में ही जेसीटीएसएल को 300 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होना प्रस्तावित है। • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की गाईडलाईन के अनुसार इलेक्ट्रिक बस संचालन हेतु प्रति बस 150 स्क्वायर मीटर भूमि आवश्यक हैं। इस आधार पर 300 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु जेसीटीएसएल को जयपुर शहर में 45000 क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता है।		जविप्रा, दोनो नगर निगम व जेसीटीएसएल को आपसी समन्वय से भूमि चिन्हींकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	JDA JCTSL NNJ Greater NNJ Heritage
91.4	**1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2025 के अनुसार आमजन व दिव्यांगजन – अनुकूल फुटपाथों का निर्माण** आमजन व दिव्यांगजन हेतु सुरक्षित एवं अतिक्रमण मुक्त फुटपाथों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जारी 14 दिशा–निर्देशः– (**माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संलग्न**) ● पर्याप्त चौडी सड़कों पर फुटपाथों का निर्माण । ● सभी परियोजनाओं की डीपीआर,		संबन्धित विभागों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05. 2025 के संलग्न पत्र (परिशिष्ठ–1) अनुसार आमजन व दिव्यांगजन – अनुकूल फुटपाथों का निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।	JDA RHB NNJ Heritage NNJ Greater

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	कार्ययोजनाओं में उक्त दिशा–निर्देशों का समावेश। • नागरिकों, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएॅं एवं बच्चों के अनुकूल फुटपाथों का डिजाइन। • समतल रैम्प निर्माण, हरित क्षेत्र, सतत् वॉकवे, स्मार्ट पोल, सूचनापट्ट की व्यवस्था। • फुटपाथ पर टैक्टाइल टाइल्स, संकेत पट्ट, ऑडियो सिग्नल, बैंच व्यवस्था। • तकनीकी अतिक्रमण टैक्टाइल जोन में पूर्णतः वर्जित। • फुटपाथों का हरित एवं वर्षाजल प्रबन्धन युक्त बनाना। • फुटपाथों को अतिक्रमण से पूर्णतः मुक्त रखा जाना। • परिवहन बजट का फुटपाथों, साईकिल ट्रैकों, हरित गलियारों एवं एनएमटी के लिए आरक्षित किया जाना। • फुटपाथ डिजाइन को फ्रन्ट जोन, पैदल यात्री जोन, फर्नीचर जोन, कर्ब जोन, चार जोनों में विभाजित करना। • प्रमुख सड़कों, विद्यालय मार्गो एवं सार्वजनिक स्थलों के आस–पास आवश्यक सुधार कार्य किया जाना। • व्यस्त बहुलेन सड़कों एवं राजमार्गो पर पैदल यात्री संकेत सहित ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करना। • फुटपाथों पर समुचित एवं बाधारहित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना।			
	2. विभिन्न स्थानों पर यातायात सुधार हेतु		जविप्रा को संलग्न सूची (परिशिष्ट–2)	

RajKaj Ref No.: 17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	• गोपालपुरा पुलिया टोंक रोड • सोडाला सर्किल • दुर्गापुरा (टोंक रोड) • हीरापुरा अजमेर रोड • टैगोर नगर (अजमेर रोड) • कालवाड रोड– वाईपास टी जंक्शन		अनुसार यातायात पुलिस से समन्वय कर यातायात सुधार हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	3. यातायात सुधार हेतु मुख्य सड़कों पर डिवाइडर लगाने का कार्य • श्याम नगर सब्जी मण्डी कट (अजमेर रोड) पर मीडियन के कट को बंद करने एवं ट्रैफिक चैनलाईज करने हेतु		यातायात पुलिस से समन्वय करते हुए उनके सुझाव अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	मीडियन/डिवाइडर लगाने वाली सड़कों का विवरण • दुर्गापुरा पुलिया से महारानी फार्म तक • शिप्रा पथ से न्यू सांगानेर रोड (विजय पथ) • शिप्रा पथ से न्यू सांगानेर रोड (पटेल मार्ग) शिप्रा पथ से न्यू सांगानेर रोड (स्वर्ण पथ)		उक्त कार्यों को यातायात पुलिस से समन्वय कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	• महेश नगर रेलवे क्रोसिंग से गोपालपुरा वाईपास (महेश नगर) • शिप्रा पथ से स्वास्तिक पीजी वोईज (शांतिनगर) • जयपुरिया हॉस्पीटल से एस.एल. मार्ग (आदिनाथ नगर)		महेश नगर रेलवे क्रोसिंग से गोपालपुरा वाईपास (महेश नगर), शिप्रा पथ से स्वास्तिक पीजी वोईज (शांतिनगर) पर मीडियन/डिवाइडर लगाने का कार्य कराने के निर्देश दिये गये। चर्चा उपरान्त उक्त सडक पर फीजिबल नहीं होने के कारण मीडियन नहीं लगाने का निर्णय लिया गया।	JDA
	4. संस्थान पथ आर.आई.सी.रोड की		संस्थान पथ आर.आई.सी. रोड की	JDA

RajKaj Ref No.: 17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	चौडाई बढाये जाने हेतु		चौडाई बढाये जाने के लिए जविप्रा को योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये।	
91.5	**1. यादगार स्थित पदमार्ग के वेन्टिलेशन की मरम्मत** • यादगार तिराहे पर बने भूमिगत पदमार्ग काफी समय से बंद है। जिसकी मरम्मत करवाई जाकर इसे पुनः चालू करवाया जाये। जिससे आमजन को रोड क्रोस करने मे आसानी होगी।		नगर निगम ग्रेटर को यादगार स्थित पदमार्ग के वेन्टिलेशन की मरम्मत करवाई जाकर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।	NNJ Greater
	2. सडक मरम्मत कार्य • रायल्टी तिराहा से केवी 3 तक		रायल्टी तिराहे से केवी 3 तक सड़क मरम्मत कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।	JDA
	3. मीडियन की रेलिंग को सही करवाया जाना • टोंक रोड पर मीडियन के बीच मे लगी हुई लोहे की रेलिंग जगह–जगह से टूटी हुई होने के कारण पैदल व्यक्ति रोड क्रॉस करते है जिससे सडक दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। • टीएमसी में हुए निर्णय के अनुरूप बीआरटीएस से हटाई जा रही लोहे की जाली को जवाहर नगर बाईपास पर उपयोग में लिया जाना • गलत दिशा (रोंग साईड) वाहनों पर नियंत्रण हेतु वन–वे स्पाईक स्ट्रिप का प्रायोगिक परीक्षण • दिल्ली रोड पर मीडियन पर बने रोड		टोंक रोड पर मीडियन के बीच में लगी हुई लोहे की टूटी हुई रेलिंग को सही कराने के जविप्रा को निर्देशित किया गया। बैठक में चर्चा अनुसार जवाहर नगर बाईपास पर लोहे की जाली लगाना उपयोगी नहीं पाया गया। गलत दिशा (रोंग साईड) वाहनों पर नियंत्रण हेतु वन–वे स्पाईक स्ट्रिप का प्रायोगिक परीक्षण करने के निर्देश यातायात पुलिस को दिये गये। कार्य पूर्व में करवा दिये गये हैं।	JDA Traffic Police

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 13:37:21 IST
Reason: Approved

	कटों को बंद किया जाना			
	5. एकाजल के टूटे हुये स्ट्रक्चर • शहर के विभिन्न स्थानो पर एकाजल के तहत जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे स्ट्रक्चर लगे हुये है इस कारण इन स्थानों गंदगी रहती है जिन्हे हटाये जाने की आवश्यकता है।		नगर निगम ग्रेटर को विभिन्न स्थानो पर एकाजल के तहत जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे लगे स्ट्रक्चरों को हटाने हेतु निर्देशित किया गया।	NNJ Greater
	6. यातायात सुधार कार्य • टोंक रोड हल्दीघाटी मार्ग • अक्षय पात्र जंक्शन जगतपुरा		यातायात पुलिस से समन्वय कर फिजीविलिटी की जांच करते हुए जविप्रा को कार्य करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	7. यातायात के सुगम संचालन हेतु अन्य कार्य • अपेक्स सर्किल से लेकर शमशान घाट तक चौडाई बढाया जाना		उक्त स्थान पर एलीवेटेड रोड प्रस्तावित होने के कारण सड़क चौडाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।	
	• दुर्गापुरा पुलिया, गोपालपुरा पुलिया के नीचे की सडक की चौडाई बढाया जाना।		यातायात पुलिस से समन्वय कर फीजिबिलिटी चैक करते हुए जविप्रा को कार्य करने के निर्देश दिये गये।	JDA Traffic Police
	• गोपालपुरा बाईपास पर लोहे की जाली लगवाया जाना			
	• गौरव टावर के सामने लगे डिवाईडर की ऊँचाई को बढाया जाना			
	• भूमिगत पदमार्गः– सिन्धी कैम्प, रेल्वे स्टेशन एव खासाकोठी		सिन्धी कैम्प, रेल्वे स्टेशन एव खासाकोठी पर भूमिगत पदमार्ग हेतु फीज़ीबिलिटी जांच करने के निर्देश दिये गये।	JDA NNJ Heritage
	• पंत कृषि भवन के सामने ट्रैफिक सिग्नल लाईट लगवाया जाना		चर्चा की गई, पंत कृषि भवन के सामने ट्रैफिक सिग्नल लाईट लगवाया जाना फीज़ीबल नहीं पाया गया।	
	• दुर्गापुरा तिराहे से महारानी फार्म तक अतिक्रमण हटाये जाना।		कार्य पूर्व में करवाये जा चुके है।	

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

	• मीणा चौक पर हाईमास्क लाईट लगवाया जाना। • भरत अपार्टमेंट से गांधी पथ, गांधीपथ पुलिया, बैक चौराहा की तरफ एवं विजय द्वार के सामने गांधी पथ पर प्लास्टिक के अल्ट्रा फ्लैक्स पोस्ट लगवाया जाना।			

The Attendance sheet of participants is enclosed. The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

(Mohan Lal Meena)
Member Secretary (TCB) &
Addl. Chief Engineer –I

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. PS to JDC, JDA, Jaipur
2. IG, Jaipur Developmant Authority, Jaipur
3. Collector, Jaipur
4. MD RIICO, Jaipur
5. Commissioner, RHB, Jaipur
6. Commissioner, DOIT&C, Jaipur.
7. Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur
8. Additional Commissioner of Police (Traffic), Jaipur
9. Commissioner Nagar Nigam Greater, Jaipur.
10. Commissioner Nagar Nigam Heritage, Jaipur
11. CEO, Smart City, Jaipur
12. GM RSRTC, Jaipur
13. MD JMRC, Jaipur
14. MD, JCTSL, Jaipur
15. MD, RTDC, Jaipur
16. Secretary, JDA, Jaipur
17. DCP (Traffic), Jaipur
18. GM, NWR, Jaipur
19. Regional Transport Officer-I/II, Jaipur.
20. GM BSNL, Jaipur
21. CTP, Rajasthan, Jaipur.
22. G.M NHAI, Jaipur

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

23. DRM, Railways, Jaipur
24. Chief Engineer (Roads), PWD, Jaipur
25. Chief Engineer (HQ), PHED, Jaipur
26. Chief Engineer (O&M), JVVNL, Jaipur
27. Director (TP), JDA, Jaipur
28. Director (Engineer), I/II, JDA, Jaipur
29. Director (Finance), JDA, Jaipur
30. Project Director, NHAI, Jaipur/Dausa
31. Managing Marketing, RCDF, Jaipur
32. Chief Controller Enforcement, JDA, Jaipur
33. Managing Trustee, NGO, Muskaan, Jaipur

Executive Engineer (TCB)
Jaipur Development Authority, Jaipur

RajKaj Ref No.:
17559576
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : Additional Chief
Engineer
Date: 2025.09.03 18:37:21 IST
Reason: Approved

(परिशिष्ठ–1)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– सी.ई.(एच.क्यू.)/नविवि/Footpath/2025 /14546.7956886 जयपुर, दिनांकः– 30 JUL 2025

आयुक्त,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर/
कोटा/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर

सचिव,
नगर सुधार न्यास,
अलवर/आबू/बाड़मेर/बालोतरा/भीलवाड़ा/
चित्तौड़गढ़/दौसा–बांदीकुई/जैसलमेर/
पाली/सवाई माधोपुर/सीकर/श्रीगंगानगर

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2025 (रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2012–एस. राजशेखरन बनाम भारत संघ व अन्य) की अनुपालना में –सुरक्षित, अतिकमण मुक्त एवं दिव्यांग जन–अनुकूल फुटपाथों के निर्माण, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश।**

प्रसंगः– श्री शिवमंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. सरकार सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 24.04.2025 तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के पत्र दिनांक 10.06.2025 व 02.07.2025 के क्रम में

संदर्भः– **सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा द्वारा सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 10.06.2025 एवं 02.070.2025**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2025 (रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2012 – एस. राजशेखरन बनाम भारत संघ) में यह निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को गरिमामय, सुरक्षित एवं बाधारहित आवागमन का अधिकार प्राप्त है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। इसके अनुपालन में यह आवश्यक है कि सभी सार्वजनिक सड़कों पर सुव्यवस्थित, सुरक्षित, अतिक्रमण–मुक्त एवं दिव्यांगजन–अनुकूल फुटपाथों का निर्माण, अनुरक्षण एवं नियमन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश उन समस्त शहरी कार्यों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे, जिनमें सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण, सुधार अथवा उन्नयन सम्मिलित हो और जो किसी भी वित्तिय योजना, स्त्रोत या परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हों। प्रत्येक कार्य योजना, डीपीआर एवं अनुबंध में इन दिशा–निर्देशों का स्पष्ट समावेश सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:–

1. जहाँ मौजूदा सड़कों में पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध हो, वहाँ फुटपाथों का निर्माण या नव निर्माण रेट्रोफिटिंग के माध्यम से किया जाए। यह कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाना जावे।
2. समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल द्वारा सभी परियोजनाओं की डीपीआर अथवा कार्य योजना में उपरोक्त दिशा–निर्देशों का स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से समावेश किया जावे, जिससे तकनीकी, सामाजिक और समावेशी दृष्टिकोण से उपयुक्त संरचना सुनिश्चित हो।

3. फुटपाथों का डिजाइन इस प्रकार किया जाए कि वे सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएँ एवं बच्चे सुरक्षित, बाधारहित और सुगम रूप से उपयोग कर सकें। पैदल चलने योग्य क्षेत्र की न्यूनतम चौड़ाई आवासीय क्षेत्रों में 1.5 मीटर तथा व्यावसायिक एवं उच्च आवागमन वाले क्षेत्रों में 2.5 से 3.0 मीटर सुनिश्चित की जावे। सतह समतल, फिसलन–रोधी और बिना किसी स्पीड ब्रेकर के होनी चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए मार्गदर्शक (लंबवत दिशा) एवं चेतावनी (क्रॉसिंग/रुकावट संकेत) हेतु टाइल्स का उपयोग किया जाए। डिजाइन में जल निकासी के लिए अधिकतम क्रॉस स्लोप 1:50 और न्यूनतम Vertical Clearance 2.1 मीटर सुनिश्चित किया जाए।
4. सभी प्रवेश बिंदुओं पर 1:12 ढाल वाले समतल रैम्प अनिवार्य रूप से निर्मित हों। इसके साथ ही पेड़ों हेतु हरित क्षेत्र, व्यवस्थित ड्रेनेज कवर, सतत बाधारहित वॉकवे, स्मार्ट पोल, क्यूआर/एफ़एनसी कोड युक्त सूचना पट्ट एवं संरक्षित विद्युत पैनल/बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2025 (W.P.) C No- 295/2012] S- Rajasekaran Vs. Union of India के अनुपालन में, समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक फुटपाथ पर टैक्टाइल टाइल्स, कर्ब ड्रॉप, ब्रेल एवं हाई–कॉन्ट्रास्ट संकेत पट्ट, ऑडियो सिग्नल, न्यूनतम 1.8 मीटर चौड़ा बाधारहित पथ तथा विश्राम हेतु समुचित बेंच की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
6. तकनीकी अतिक्रमण जैसे ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, टेलीफोन पिलर आदि को पैदल पथ या टैक्टाइल जोन में स्थापित करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। ये संरचनाएं केवल ≥600 मिमी चौड़ाई वाले समर्पित क्षेत्र में ही अनुमन्य हों। सभी यूटिलिटी एजेंसियों को 6 माह की समय–सीमा में बाधक संरचनाओं को स्थानांतरित अथवा समायोजित करने के निर्देश दिए जाएं। भविष्य के समस्त कार्यों में मल्टी–यूटिलिटी डक्ट या केबल ट्रे प्रणाली का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
7. समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि फुटपाथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हरित एवं वर्षाजल प्रबंधन युक्त हों। इसके लिए 1 मीटर से अधिक चौड़ी ग्रीन स्ट्रिप, हर 30 मीटर पर बायो–स्वेल या रिचार्ज पिट, उचित ढाल और वर्षाजल के प्रवाह की पूर्वनिर्धारित दिशा की व्यवस्था की जाए। मध्यम ऊंचाई वाले छायादार वृक्ष जैसे नीम, अशोक लगाए जाएं और वृक्ष गड्ढे, ट्री ग्रेट्स एवं प्रोटेक्शन गार्ड्स स्थापित किए जाएं। साथ ही, सभी यूटिलिटी संरचनाएं जैसे विद्युत, जल, दूरसंचार की पाइपिंग और केबलिंग फुटपाथ के नीचे मल्टी–यूटिलिटी डक्ट या केबल ट्रे के माध्यम से एकीकृत और सुव्यवस्थित रूप से स्थापित की जाएं। अव्यवस्थित तकनीकी घटकों की पहचान के लिए GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग कर समयबद्ध पुनःस्थिति निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पैदल पथ पूरी तरह बाधारहित एवं सुरक्षित रहे।
8. राजस्थान नगर विकास अधिनियम एवं प्राधिकरणों के अधिनियमों में वर्णित सुसंगित धाराओं के प्रावधानों के अनुसार सभी संस्थाऐं यह सुनिश्चित करें कि फुटपाथों को ठेले, अस्थायी दुकानों, निर्माण सामग्री, निजी वाहनों की पार्किंग अथवा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकतानुसार चेतावनी, जब्ती और चालान की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। समस्त कार्यवाहियों का स्थल–आधारित फोटो सहित समुचित दस्तावेजीकरण किया

जाए और जानकारी सार्वजनिक पारदर्शिता हेतु संबंधित पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

9. "पैदल यात्री पहले" सिद्धांत के अनुरूप, समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि परिवहन बजट का एक निर्धारित भाग फुटपाथों, साइकिल ट्रैकों, हरित गलियारों एवं अन्य गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) अधोसंरचनाओं के निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण हेतु आरक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त, सभी उच्च यातायात वाले चौराहों, विद्यालयों, बस स्टॉप एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से चिह्नित जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्री संकेतक (पेलिकन/पफिन सिग्नल), स्पीड-कैल्मिंग उपाय (जैसे रंबल स्ट्रिप्स, रेज़्ड क्रॉसिंग) तथा यातायात संकेतों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे शहरी गतिशीलता अधिक सुरक्षित, समावेशी और पर्यावरणीय रूप से सतत बन सके।

10. फुटपाथ डिजाइन को चार कार्यात्मक ज़ोन-(1) फ्रंटेज ज़ोन, (2) पैदल यात्री ज़ोन, (3) फर्नीचर ज़ोन, तथा (4) कर्ब जोन में विभाजित कर सभी नागरिकों के लिए बाधारहित, सुरक्षित एवं सुलभ आवागमन सुनिश्चित हो सके। फ्रंटेज जोन दुकानों या भवनों के सामने की सीमित गतिविधि क्षेत्र होता है; पैदल यात्री ज़ोन मुख्य चलने योग्य क्षेत्र होता है, फर्नीचर ज़ोन में स्ट्रीट फर्नीचर, पेड़, डस्टबिन, पोल, ट्रांसफॉर्मर, पैनल बॉक्स आदि नियोजित किए जाते हैं; और कर्ब ज़ोन सड़क व फुटपाथ के मध्य स्थित सुरक्षा व जल निकासी क्षेत्र होता है।

11. समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि प्रमुख सड़कों, विद्यालय मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास पैदल यात्री अधोसंरचना की चरणबद्ध समीक्षा कर आवश्यक सुधार कार्य प्रस्तावित किए जाएं, ताकि सुरक्षित एवं समावेशी पैदल यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। दुर्घटना डेटा के साथ-साथ स्थानिक मूल्यांकन को भी आधार बनाया जाए।

12. नविवि अन्तर्गत सभी संस्थाऐ यह सुनिश्चित करें कि ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाए कि वह पैदल यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके लिए प्रत्येक चौराहे पर पैदल यात्री संकेत (Pedestrian Signal) की सुविधा, पर्याप्त क्रॉसिंग समय, ऑडियो सिग्नल (जहाँ आवश्यक हो), तथा दृष्टिबाधित एवं दिव्यांगजन के अनुकूल व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से की जाएं। सिग्नल टाइम निर्धारण में वाहनों की गति, मोड़ने की मात्रा, सड़क की चौड़ाई, एवं पैदल यात्री यातायात घनत्व का समुचित मूल्यांकन किया जाए। जहाँ आवश्यक हो, सुरक्षा द्वीप (Refuge Island) एवं संकेत चिह्न भी स्थापित किए जाएं ताकि सभी नागरिक सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें।

13. समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि व्यस्त बहुलेन सड़कों एवं राजमार्गों पर पैदल यात्री संकेत सहित ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जाएं, जहां पैदल यात्रियों की संख्या अधिक हो। ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए मौजूदा पैदल यात्री गणना के साथ-साथ सिग्नल स्थापना के बाद पैदल यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि का पूर्वानुमान करना अनिवार्य होगा। साथ ही, सिग्नलों के बीच उचित दूरी एवं परिचालन सुरक्षा के सभी पहलुओं का समुचित ध्यान रखा जाए, ताकि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक क्रॉसिंग सुनिश्चित हो सके।

14. समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि फुटपाथों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हेतु समुचित एवं बाधारहित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित

की जाए। स्ट्रीट लाइट पोल एवं सभी विद्युत अथवा दूरसंचार संरचनाएं-जैसे ट्रांसफॉर्मर, पोल, पैनल बॉक्स, जंक्शन बॉक्स आदि केवल "फर्नीचर जोन" में ही नियोजित हों। सभी लाइटें ऊर्जा दक्ष LED आधारित तथा IP-65 ग्रेड संरक्षित आवरणयुक्त हों, और नियंत्रण प्रणाली स्मार्ट टाइमर या सेंसर आधारित हो। EV चार्जिंग यूनिट जैसे संरचनाएं पैदल पथ से स्पष्ट रूप से पृथक निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित की जाएं। कोई भी विद्युत या दूरसंचार संरचना बिना पूर्व स्वीकृति के स्थापित नहीं की जाए।

अतः समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल यह सुनिश्चित करें कि पैदल यात्री सुरक्षा, सुगमता एवं समावेशी शहरी गतिशीलता से संबंधित उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य योजनाओं का चरणबद्ध, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित ढंग से किया जाए। प्रत्येक योजना में निगरानी तंत्र, सामुदायिक सहभागिता, दस्तावेजीकरण एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल किए जाएं, जिससे नागरिकों को सुरक्षित, बाधारहित एवं सुगम पैदल आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही, सभी प्राधिकरण/न्यास यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन की त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट नगरीय विकास विभाग को नियमित रूप से प्रेषित की जाए, ताकि राज्य स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन एवं आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

30/7/25

(रवि विजय)
उप शासन सचिव-प्रथम

(परिशिष्ठ–2)

S. No.	Node	Severity	Issue Type	Suggested Intervention	
				Traffic	JDA/NHAI/Metro
1.	Gopalpura Pulia (Tonk Road)	High	Arterial Merge Conflict	Fly Over /Underpass	**Under pass -** Dainik Bhasker – Gopalpur Road feasibility study
2.	Sodala Circle	High	5-arm Junction, Metro Influence	Grade-Separated Signal – Free Circle	Redesign wrt existing piers
3.	Durgapura (Tonk Road)	Medium	Narrow road, Bus Congestion	Underpass +Slip lanes	Under pass not possible, Junction redesign
4.	Heerapura Ajmer road	Medium	Cross-traffic congestion	Loop Flyover/ Grade separation	Junction channelization
5.	Tagore Nagar (Ajmer Road)	Medium	Poor Signal management	Smart Signal + U-turn loop	1. BRTS is being removed and median being reduced 2. Signal timing (U-turn provision) can be redesigned
6.	Kalwar Road – Byepass T-Junction	High	Rapid residential expansion	Widening + U-turn flyover	1. Redesign 2. Previously NHAI was asked to give assess to C-Zone byepass

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Attendance Sheet

91st TCB Meeting Dated 21.08.2025

Venue : Manthan Hall, JDA

S.No	Name of Participant	Designation	Organisation	Email ID	Phone No.	Signature
1.	Rahul Kotoki	DIG, JDA	JDA			[signature]
2.						
3.	Yogesh Dadhich	Addl. C.P. Traffic, Jaipur	Police			[signature]
4.	Nishant Jain	Secretary	JDA			[signature]
5.	Devendra Gupta	DE-I	JDA			[signature]
6.	Mrs. Preeti Gupta	Dir (TP)	JDA			[signature]
7.	Ajay Garg	Dir Engg-II	JDA			[signature]
8.	Mohan Lal Meena	ACE-I&II	JDA			[signature]

S.No	Name of Participant	Designation	Organisation	Email ID	Phone No.	Signature
9.	Adarsh Choudhary	CCE	JDA		99502 18749	[signature]
10.	AMRIT SINGH	EE-6	JDA		9414835834	[signature]
11.	Sapan Mishra	SE	JDA		9414058308	[signature]
12.	Vivek Sharma	SE	JDA		9414066198	[signature]
13.	Sumeet Meharda	DCP Traffic	Police		9414344367	[signature]
14.	Suresh Pareek	SE (Traffic & Road Safety)	PWD		9414332139	[signature]
15.	Kartik Kumawat	Site Eng. NHAI Jaipur	NHAI		8386167685	[signature]
16.	Naval Kishore	PRO	JDA		9829018011	[signature]
17.	Pushpendra Singh	Addl. S.P.	NH Jaipur		9829010031	[signature]
18	Mahaveer singh	D.C. (Enf)	Transport		7742286600	[signature]

S.No	Name of Participant	Designation	Organisation	Email ID	Phone No.	Signature
19.	Rajendra Singh Shekhawat	RTO-I	Transport		9602840144	[signature]
20.	Dharmendra Kumar	RTO II	Transport		9413014555	[signature]
21.	Dinesh Goyal	S.E	JSCL		8619580223	[signature]
22.	Deepak Malhotra	S.E.	JDA		94143-77625	[signature]
23.	K.C. Gupta	E.E	JDA		9928699951	[signature]
24.	N K Agarwal	SE	NNJ(G)		9829149064	[signature]
25.	Jyoti Meena	OSD JCTSL	JCTSL		9602598987	[signature]
26.	D.K.SHARMA	AEn JVVNL	JVVNL		9413390090	[signature]
27.	PEEYUSH SRIVASTAVA	Ex-En NNJ(G)	NNJ(G)		7014917468	[signature]
28.	Abhishek Godara	Manager operations	Jaipur metro		7728895538	[signature]

S.No	Name of Participants	Designation	Organisation	Email ID	Phone No.	Signature
29.	B. R. Pinjani	EE. (Traffic RS)	Police Jaipur	trafficcell@gmail.com	9928040263	[signature]
30.	Prashant sharma	EE-2A	JDA	·	9828604111	[signature]
31.	Kailash Bairwa.	XEn PLN(N)	JDA		8003911222	[signature]
32.	Anirudh Mathur	Consultant	Traffic		7891993999	[signature]
33.	Prasoon Chaturvedi	STP (Project)	JDA		9462023300	[signature]
34.	Udit Jonwal	Transport Planner	JDA		8233390846	[signature]
35.	Avdhesh Kumar meena	AEn	JDA		9462011487	[signature]
36.	VIJAY kumar	XEn	JDA		8829045123	[signature]
37.	Prateek Srivastava	Chief Engineer - II	RWB		9413974797	[signature]
38.						